<u>मेसर्स टापवर्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–सपनई, बलभद्रपुर, सरबहाल, सिकोसीमाल एवं नवबहाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट – 2 x 300 मेगावॉट एवं 1 x 660 मेगावॉट (कुल 1260 मेगावॉट) के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 07.01.2011 का कार्यवाही विवरण</u>

मेसर्स टापवर्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–सपनई, बलभद्रपुर, सरबहाल, सिकोसीमाल एवं नवबहाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट – 2 x 300 मेगावॉट एवं 1 x 660 मेगावॉट (कुल 1260 मेगावॉट) के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 07.01.2011 स्थान – ग्राम बलभद्रपुर बस्ती के समीप का मैदान, ग्राम पंचायत – सपनई, विकासखण्ड, तहसील व जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.25 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई । लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 2000 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री कमलेश पवार, प्रबंधक (मानव संसाधन) एवं श्री रवि महापात्र, ई. आई. ए. कंसलटेंट द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी एवं उक्त परियोजना में किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में जानकारी दी गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 473 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. साधुराम किसान, कुकुर्दा – मैं इस फैक्ट्री को समर्थन करता हूॅं।
2. संजय गुप्ता, नावापारा – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं, लेकिन उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा मुआवजा जे. एस. डब्लू. दे रहा है वैसा मुआवजा मिलना चहिए।
3. प्रदिप विश्वाल, नवापारा – मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
4. सीमाराम, छीन्द – समर्थन करता हूॅं।
5. हेमसागर, कोतरलिया – समर्थन करता हूॅं।
6. रतिराम, झारआमा – समर्थन करता हूॅं।
7. होरीलाल, कपिसदा – समर्थन करता हूॅं।
8. पुनीराम, कोतरलिया – समर्थन करता हूॅं।
9. वेदू, कपिसदा – समर्थन करता हूॅं।

10. महेश कुमार, विजयपुर – समर्थन करता हूँ।
11. लोकनाथ थापा, विजयपुर – समर्थन करता हूँ।
12. किष्टो, झारआमा – समर्थन करता हूँ।
13. लखन, झारआमा – समर्थन करता हूँ।
14. सनत राम, झारआमा – समर्थन करता हूँ।
15. धनसिंह, झारआमा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
16. पुनिराम यादव, अतरमुड़ा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
17. भरतलाल गुप्ता, कोयलंगा – समर्थन करता हूँ,लेकिन जीओ और जीने दो।
18. हरिशंकर, अतरमुड़ा, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
19. गुरबारू, झारआमा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
20. रामसिंह, झारआमा – समर्थन करता हूँ।
21. रामप्रसाद, अतरमुड़ा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
22. गुलाब साय नागवंसी, अतरमुड़ा – समर्थन करता हूँ।
23. धनिराम, झारआमा – समर्थन करता हूँ।
24. बंसीराम, झारआमा – काम करने आ रहा हूँ।
25. भुवनेश्वर, झारआमा – अतरमुड़ा से काम करने आये हैं।
26. पिताम्बर गुप्ता, कोयलंगा – हमको ज्यादा मजदूरी और बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए, जो काम सिख गया है, उसको काम मिलना चाहिए, बाहर से आये हुए लोगों को काम नहीं मिलना चहिए, बाहर के लोगों को अधिक पैसा दिया जाता है, हमें कम पैसा दिया जाता है।
27. बोधराम, झारआमा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
28. राजेश, कोतरलिया – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
29. तुलाराम राठिया, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
30. मानसाय, झारआमा – समर्थन करता हूँ।
31. बरतराम, जुर्डा – समर्थन करता हूँ।
32. दरोगा, कोतरलिया – समर्थन करता हूँ।
33. जयपाल यादव, कोतरलिया – समर्थन करता हूँ।
34. उजल सिदार, कोतरलिया – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
35. पदुमलाल, कोतरलिया – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
36. बोधराम गुप्ता, कोयलंगा – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
37. दिनेश कुमार, बेहरापाली – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
38. रमेश कुमार गुप्ता, कोयलंगा – समर्थन करता हूँ। लेकिन हमारे लोकल लोगों को कम पैसा मिलता है, हमारे गांव के लोगों को भी अधिम वेतन मिलना चाहिए।
39. सुभाष डनसेना, कायलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
40. नरेश चौहान, कोयलंगा – समर्थन करता हूँ।
41. बोधराम चौहान, कोयलंगा – नौकरी मिलना चहिए, कंपनी का समर्थन करता हूँ।
42. डमरुधर पटेल, अड़बहाल – हर बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
43. चंदन, नटवरपुर – बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए।
44. रतुराम, नटवरपुर – कंपनी का स्वागत करता हूँ।
45. रुकमण राठिया, देवबहाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
46. बोधन, कोतरलिया – समर्थन करता हूँ।

47. रेशम लाल पटेल, अड़बहाल – मैं विकलांग हूॅं, मैं कंपनी को समर्थन करता हूॅं, क्योंकि मेरे लिये थोड़ा सा सुविधा किया जाये।
48. जनकराम राठिया, देवबहाल – जल्द से जल्द यह कंपनी खुले, गरीबों को काम मिलना चाहिए।
49. शहनीराम, नटवरपुर – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
50. दशरथ, कोतरलिया – समर्थन करता हूॅं।
51. काठू, कोतरलिया – समर्थन करता हूॅं।
52. खेत्रमोहन गुप्ता, कोयलंगा – क्योंकि बंजर भूमि है, इसलिये फैक्ट्री खुले, यह टिकरा भूमि थी, हर 10 कि. मी. के गांव में बिजली मिलना चाहिए, स्थानिय लोगों को पेमेंट कम मिलता है, सब को समान वेतन मिलना चाहिए, मेरा विशेष समर्थन हूॅं।
53. आदित्य चौहान, कोयलंगा – इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
54. चतुर्भुज यादव, कोयलंगा – समर्थन करता हूॅं।
55. सुभित यादव, जोगरीपाली – कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
56. भीम सतनामी, कोयलंगा – मुझे बहुत पसंद आया ।
57. कवि सतनामी, कोयलंगा – समर्थन करता हूॅं।
58. अलेख, कोयलंगा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
59. रमेश चौहान, कोयलंगा – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
60. टिकेश्वर चौहान, कोयलंगा – मैं समर्थन करता हूॅं।
61. तुलसीदास चौहान, कायलंगा – समर्थन करता हूॅं।
62. अर्जुन यादव, कोयलंगा – समर्थन करता हूॅं।
63. सारंगो यादव, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
64. सुधिर, कोयलंगा – मैं कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
65. जयदिप गुप्ता, रायगढ़ – कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
66. भागोटिया, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।
67. दिलेश्वर, रायगढ़ – कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
68. अजय कुमार, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।
69. अरुण कुमार, कोतरलिया – इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
70. सुभाष चौहान, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।
71. सेत कुमार चौहान, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।
72. सुधाराम यादव, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
73. जनकराम साहू, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।
74. रघुनाथ, सरसिंवा – समर्थन करता हूॅं।
75. सुबोध कुमार, रायगढ़ –कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
76. किर्तन, कोतरलिया – टापवर्थ कंपनी का इस गांव में आने के लिये धन्यवाद करता हूॅं, हमारा आर्थिक विकास होगा, भारत के विकास के लिये ग्रामीण का विकास होगा तभी देश का विकास होगा।
77. मुकेश कुमार, कोतरलिया – इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
78. ईश्वर , कोतरलिया – इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
79. बादशाह, रायगढ़ – इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
80. विद्याधर राठिया, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।
81. बोधिराम निषाद, रायगढ़ – समर्थन करता हूॅं।

82. बिहारीप्रसाद, कोतरलिया – इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
83. भगत राम, नटवरपुर – इस कंपनी से समर्थन है।
84. सुखरुराम, नटवरपुर – कंपनी का स्वागत करता हूँ।
85. चुनिया चौहान, कोयलंगा – कंपनी का स्वागत करता हूँ।
86. देबु सतनामी, कोयलंगा – इस कंपनी का स्वागत करता हूँ।
87. शैलेन्द्र सिंह, रायगढ़ – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
88. मनोज तिवारी, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
89. बसंत चौरसिया, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
90. संजय, रायगढ़ – कंपनी का अभिनंदन करते हैं।
91. मधुसूधन चौहान, रायगढ़ – इस कंपनी का स्वागत करता हूँ।
92. जगनलाल, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
93. सुखीराम यादव, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
94. चैनदास, रायगढ़ – इस कंपनी का स्वागत करता हूँ।
95. राजेन्द्र दास, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
96. जगन्नाथ पटेल, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
97. दिनेश कुमार, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
98. सोभराज साहू, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ, ग्रामीणों को रोजगार मिलना चाहिए।
99. किर्तिबाई, परसापाली – मै इस सेठ का समर्थन करती हूँ।
100. सीमाबाई, कबिदा – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
101. रुपमती टंडन, गोपालपुर – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
102. देशमती, गोपालपुर – समर्थन करने आयी हूँ।
103. शान्ति, गोपालपुर – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
104. शुसिला, गोपालपुर – कंपनी का स्वागत करती हूँ।
105. पुनिराम चौहान, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
106. गणेश राम, हीरानगर, रायगढ़ – इस मालिक को समर्थन करता हूँ।
107. मिन कुमार, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
108. कृष्णा बाई साहू, गोपालपुर – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
109. इतवारी, गोपलपुर – सुविधा नहीं है।
110. चंपा, गोपालपुर –
111. गीता, गोपालपुर – समर्थन करती हूँ।
112. द्रोपति, गोपालपुर –
113. पियोबाई, गोपालपुर –
114. किया बाई, गोपालपुर – समर्थन करती हूँ।
115. प्रिया बाई, कोरियादादर –
116. सूरज बाई श्रीवास, गोपालपुर – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
117. परीक्षा बाई, टारपाली –
118. बालमती, कोरियादादर – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
119. कुलकुली यादव, गोपालपुर – जो भी कंपनी खुल रहा है उसका समर्थन करती हूँ।
120. चंपा विश्वकर्मा, भगोरा – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ, लेकिन हमारे गांव के नाला का पानी काला नहीं होना चाहिए, हमें पानी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही हमारा मांग है, बाहर से आने वाले को 10–15 हजार वेतन दिया जाता है,

आस–पास के लोगों को 3000 रुपये दिया जाता है, जितना बाहर के लोगों को वेतन देते हैं, गांव के लोगों को भी उतना वेतन देना चाहिए।

121. मोहनकुंवर, गोपालपुर – कंपनी नहीं चाहिए।
122. बसंता चौहान, भगोरा – सपनई नाले का पानी काला नहीं होना चाहिए, हम उद्योग के विरोधी नहीं हैं।
123. गुलापी, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
124. ललिता चौहान, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
125. तारा, कोतरलिया – स्वागत करती हूॅं।
126. अमरिता, कोतरलिया – समर्थन करती हूॅं।
127. भुकी बाई, झारगुड़ा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
128. कपिल बाई, झारगुड़ा, कंपनी का स्वागत है।
129. भगवति बाई, झारगुड़ा – कंपनी का स्वागत है।
130. कश्तुरी बाई, निरंजनपुर – कंपनी में गांव के पढे–लिखे लोगों को काम मिलना चाहिए। कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
131. हीराबाई, गोपालपुर – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
132. रामवति, कोतरलिया – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
133. शान्ति, कोतरलिया – समर्थन करती हूॅं।
134. सुकान्ति, कोतरलिया – समर्थन करती हूॅं।
135. समारी,कोतरलिया – समर्थन करती हूॅं।
136. सुमित्रा, केतरलिया – समर्थन करती हूॅं।
137. कैमुबाई, जुर्डा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
138. सुकमति, जुर्डा – समर्थन करती हूॅं।
139. संजना चौहान, जुर्डा – इस कंपनी का स्वागत करती हूॅं।
140. सुकमति बाई, जुर्डा – समर्थन करती हूॅं।
141. बसंती, भगोरा – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
142. अहिल्या, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
143. पदमा, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
144. सावित्री, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
145. शशि बाई, भगोरा – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
146. कलसा बाई, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
147. सहोद्रा चौहान, भगोरा –कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
148. जमुना बाई, भगोरा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
149. बसंती मालाकार, अड़बहाल – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅं। 11 वीं, 12 वीं हेतु स्कूल खुलनी चाहिए।
150. संतोषी पटेल, अड़बहाल – स्कूल बनना चाहिए।
151. सत्यभामा पटेल, अड़बहाल – 12 तक स्कूल खुलवाना है, लड़की लोग 10 वीं तक पढ़ कर बैठे हैं।
152. द्रोपति, झारगुड़ा – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
153. बुधराम, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
154. नारायण, मधुबन – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
155. सूरज चौहान, रायगढ़ –कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
156. शंकर चौहान, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।

157. केशव चौहान, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
158. शंकर लाल सिदार, रायगढ़ – समर्थन करता हूँ।
159. रामभरोस सिदार, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
160. हीरादास महंत, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
161. करण सिंह बरेठ, गोपालपुर – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ, लेकिन हम जैसे युवा को नौकरी मिलेगा, हम लोगों का कोई संगठन नहीं है, इस महंगाई में कंपनी खुलेगा तो हमको नौकरी मिलेगा।
162. नीलसिंह, रायगढ़ – इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
163. गुड्डू सिंह, रायगढ़, अध्यक्ष, मजदूर संघ, रायगढ़ – यह प्लांट बनने से हम लोगों को खुशी होगी, हम लोग मजदूर लोगों का काम पड़ेगा तो हमको याद किजियेगा।
164. हरिप्रसाद, निरंजनपुर – कंपनी को समर्थन है, लेकिन योग्यता अनुसार लड़कों को काम मिले, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा करें, पानी की सुविधा करे, बोरिंग में बोर पाईप लगाया जाये।
165. राजू, रायगढ़ – कंपनी से उम्मिद है कि बेरोजगारों को नौकरी और किसानों को उचित मुआवजा मिले मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
166. रतन लाल यादव, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
167. अशोक राम, तरोला – गांव में कंपनी के तरफ से हास्पिटल बनाया जाये, कंपनी का समर्थन करता हूँ।
168. कौशल जांगड़े, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
169. राजेश सहनी, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
170. सावित्री, तिलगा – गांव में पानी की समस्या है उसको दूर किया जाये।
171. सुकवारा बाई, तिलगा – हमारे गांव के मोहल्ला में बिजली हेतु खंभा चाहिए, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है।
172. तेजमती, तिलगा – पानी की समस्या हो रहा है, हमको पानी की सुविधा की जाये।
173. यशोदा, तिलगा – पानी के लिये बहुत परेशान है, हमें पानी चाहिए।
174. भूखाई बाई, तिलगा – पानी की समस्या है।
175. दरशमति, तिलगा – पानी की तकलीफ है, बोर होना चहिए।
176. मनमेत कुमार, तिलगा – पानी का समस्या है, तालाब में बोर चाहिए।
177. शान्ति, तिलगा – पानी की समस्या है।
178. पुरानमति, भगोरा – पानी की समस्या है बोर चहिए।
179. कुमारी बाई,भगोरा – सपनई नाला गंदा नहीं होना चाहिए।
180. कलावति, झारआमा – इस कंपनी का स्वागत है।
181. रामवति, झारआमा – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
182. पुष्पा कुमारी, झारआमा – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
183. भगवति, झारआमा – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
184. प्रतिमा, झारआमा – कंपनी चाहिए।
185. मीना पटेल, सरपंच, जामगांव – इस टापवर्थ कंपनी का स्वागत करती हूँ और समर्थन करती हूँ।
186. कवि टंडन, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
187. सुमन साह, जामगांव – हम लोग एम. एस. पी. में 5 साल से काम कर रहे है, जब चाहता है तब निकाल देता है, वह हिसाब नहीं होना चाहिए, जो पढ़ा नहीं है उसका भी दिमाग होता है, हम लोग जिन आपरेटर को सिखाए हैं, उनको अधिक

वेतन मिल रहा है, ऐसा यहॉ नहीं होना चाहिए, ठेकेदार के माध्यम से पेमेंट होता है, ऐसा इस कंपनी में नहीं होना चाहिए। हम लोग इस कंपनी का समर्थन करते हैं।

188. मनबोध राम राठिया, झारगुड़ा– कंपनी में काम करना चाहते हैं, मैं राजमिस्त्री हूॅ, हमको रोजगार मिलना चाहिए, इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

189. हरिशंकर मेहर, कुकुर्दा – मेरे खेत में रोड़ निकाला गया है, अभी तक पैसा नहीं मिला है।

190. शिवशंकर गुप्ता, कोयलंगा – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

191. किशोर कुमार बारिक, कोयलंगा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ। हमारा अंचल गरीबी और बेरोजगारी से भरा हुआ है, जब यह कंपनी यहॉ लगने वाली है, वहॉ पर भी आशा करते हैं, कि अंचलवासियों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी। कंपनी बनने से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, कंपनी से विनम्र अनुरोध है कि यहॉ पर अच्छा स्वास्थ्य केन्द्र होग, अच्छा स्कूल खुले, इन्वारमेंटल के लिये भी हमेशा एलर्ट रहें, यहॉ के लोकल संस्कृति की रक्षा की जाये,क्योंकि हमारे संस्कति के द्वारा ही आदमी को शान्ति मिलती है, कंपनी के प्रतिनिधि स्थानीय लोगों से अपने लोगों जैसा व्यवहार करें।

192. भागीलाल, कोयलंगा – मैं समर्थन करता हूॅ।

193. चेतराम राठिया, देवबहला – मेरा लड़का मॉ मंगला इस्पात में काम करता है, उसको कम वेतन दिया जाता है, बाहर के लोगों को अधिक वेतन दिया जाता है, इस कंपनी में ऐसा न हो मैं कंपनी का स्वागत करता हूॅ।

194. जामबाई, तिलगा – गांव में बोर 15 दिन के अंदर खोदा जाये।

195. शुशिल, कोयलंगा –कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

196. तेजराम सिदार, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

197. भीम यादव, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

198. निवास गुप्ता, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

199. श्रीकांत यादव, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

200. अमित सिन्हा, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

201. कांग्रेस कुमार, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

202. शिव प्रधान, कोयलंगा – समर्थन करता हूॅ।

203. रणजीत प्रसाद वर्मा, जामगांव,जुनाडीह – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

204. गोपाल प्रसाद गुप्ता, कुकुर्दा – बाहर के लोगों को कंपनी में प्राथिमिकता दिया जाता है, आस–पास के लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, मैं इस फैक्ट्री को समर्थन करता हूॅ। बाहर से आये हुये लोगों को दूर रखा जाये, स्थानीय लोगों को सम्मान दिया जाये।

205. नवीन कुमार, कुकुर्दा – मैं कंपनी को समर्थन करता हूॅ।

206. नरेश कंकरवाल, रायगढ़ – आम जनता के हित के लिये, यहॉ जो माताएं हैं वो कहना तो कुछ और चाहते हैं, आप लोग इनके दिल की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। गांव के लोग चना–मुर्रा खाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर हंसी रहती है, मैं इस कंपनी का विरोध करने नहीं आया हूॅ, इस कंपनी का समर्थन करने आया हूॅ, आज मैं अपने दिल की बात रखना चाहता हूॅ, केवल नौकरी ही बहुत कुछ नहीं होता है, हमारे रायगढ़ क्षेत्र में जितनी भी कंपनयिां लग रही है, उसमें क्षेत्र वासियों को नजरअंदाज किया जाता है, क्या किसी कंपनी में किसी क्षेत्र वासायों को 'ए' ग्रेड का दर्जा दिया गया है, मेरा इस कंपनी के लोगों से निवेदन

है कि क्षेत्र के लोगों को 'ए' ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, मजदूर का काम नहीं मिलना चाहिए, इस क्षेत्र में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है, इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने हेतु पर्यावरण अधिकारी से मिलकर कहा गया है। इस क्षेत्र के पीने का पानी बहुत प्रदूषित हो गया है, वह पीने के लायक नहीं है, ऐसी कोई जमीन उद्योग वालों को नहीं मिलना चाहिएजिसमे खेत हो, जिसमें जंगल हो, जिसमें अनाज होता है। बाहर के लोग भी यहॉ आयें लेकिन 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

207. कमल मेहर, युवा समिति अध्यक्ष, गोपालपुर – मैं इस जन सुनवाई में अपने गरीब भाईयों के तरफ से उपस्थित हुआ हूँ, मेरे भाई एवन मेहर, हमेशा युवा बेरोजगारों के लिये संघर्ष करते रहते है। हम इस पॉवर प्लांट और उनके अधिकारियों से इतना अनुरोध करते हैं, इस गांव में जो गरीब से गरीब हैं, उनके लिये अस्पताल की व्यवस्था हो, गांव में पाठासाला खुले, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाये। हमारे यहॉ फैक्ट्री लगने से कई प्रकार का नुकशान होता है, हमारे बुजुर्ग कई वर्ष से जमीन को बचा के रखे हैं, वह चला जाता है उनके बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए, हम कंपनी का विरोध नहीं करते, सभी की समस्याओं को देखते हुए प्लांट की स्थापना की जाये।

208. ललित सिदार, डूमरपाली – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

209. छबिलाल चौहान, कलमा – इस कंपनी का स्वागत करता हूँ।

210. परदेशी कुमार, टरपाली – समर्थन करता हूँ, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।

211. रतेल उरांत, टारपाली – इस कंपनी का स्वागत करता हूँ।

212. लक्ष्मी नारायण सोनी, गोपालपुर – कंपनी का समर्थन करता हूँ।

213. प्रहलाद सिदार, गोपालपुर – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

214. आनंद राम यादव, गोपालपुर – कंपनी का स्वागत करता हूँ।

215. जयंत बहिदार, सामाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़ – आज ग्राम बलभद्रपुर गांव में टापवर्थ इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड की जन सुनवाई हो रही है, कंपनी के द्वारा 1260 मेगावॉट थर्मल पॉवर प्लांट स्थापना करना चाहती है। आपसे अनुरोध करेंगे की इस लोग सुनवाई को स्थगित किया जाये, भारत सरकार के पर्यावरण कानून के अनुसार 14 सितंबर 2006 के तहत् भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इस कंपनी के लिये टी. ओ. आर. जारी किया गया, उस अधिसूचना और टी. ओ. आर. के दिशा निर्देश के हिसाब से लोक सुनवाई नहीं हो रही है, टी. ओ. आर. के पालन के बिना कंपनी ने आवेदन किया है, मेरा आपसे अनुरोध है, कि लोक सुनवाई को स्थगित किया जाये और कंपनी के आवेदन को निरस्त कर दिया जाये। भारत सरकार के 2006 के अधिसूचना के अनुसार उद्योग के आवेदन के 45 दिन के भीतर जन सुनवाई होना चाहिए, उसी अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण के सचिव महोदय ने 21.12.2006 को पर्यावरण के सचिव ने यह आदेश पारित किया था, कि भारत सरकार के अधिसूचना 2006 के अनुसार लोक सुनवाई का आयोजन किया जाये, कंपनी को गैर कानूनी फायदा पहॅुचाने के लिये जो लोक सुनवाई हो रही है उसे स्थगित कर दिया जाये। क्या आवास एवं पर्यावरण के प्रमुख सचिव के आदेश का अवहेलना नहीं हो रहा है, क्या इस सर्कुलर के बाद और कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बताया गया कि इसके बाद और कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, भारत सरकार के द्वारा इस

कंपनी को जो टी. ओ. आर. जारी किया गया है, उसका पालन भी नहीं किया गया है, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव के द्वारा पत्र लिख कर क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिया गया कि टी. ओ. आर. को सामिल किये जाने की दशा में लोक सुनवाई की कार्यवाही की जाये। इस पत्र में जो निर्देश दिये गये हैं, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। क्या टी. ओ. ओ. के पूरे निर्देशो का पालन किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा कहा गया कि ई. आई. ए. रिपोर्ट में टी. ओ. आर. के हर बिन्दु का कम्पलायेंस दिया गया है। हमारे पर्यावरण विभाग से यह जानकारी चाहते हैं कि टी. ओ. आर. का उल्लंघन किया गया है, कंपनी के द्वारा जमीन का कोई नक्शा, खसरा और जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस कंपनी ने इस भूमि के स्वामित्य की कोई पत्र नहीं दिया गया है, कंपनी ने 950 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया जाना बताया है, कहॉ है वह जमीन बताया जाये।, कंपनी ने झूठी और अधुरी जानकारी के साथ आवेदन किया गया है। इतनी पुलिस व्यवस्था किसलिये, कंपनी की चाकरी करने के लिये है, किसी कंपनी की दलाली और गुलामी करने के लिये हमारी पुलिस फोर्स नहीं है। कंपनी ने पूरे फर्जी तरीके से कारखाना स्थापना करना चाहता है, पर्यावरण की अनदेखी करके इस क्षेत्र का पर्यावरण बिगाड़ना चाहता है, इस क्षेत्र के आदिवासि संस्कृति को बिगाड़ना चाहता है, इस क्षेत्र में गरीब किसान है, खेतीबाड़ी मुख्य धंधा है और समीप के जंगल में वनोपज इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं, इस कंपनी ने लोक सुनवाई के लिये और पर्यावरण स्वीकृति के लिये जो आवेदन लगाया है, उस आवेदन के पूर्व इस कंपनी के पास एक एकड़ जमीन भी नहीं थी, कंपनी ने ई. आई. ए. रिपोर्ट में बताया है कि इनके पास 950 एकड़ जमीन है, अभी कुछ दिनों पूर्व ही कंपनी ने 200 एकड़ जमीन खरीदी है, जमीन दलाल और भू–माफियाओं ने इस क्षेत्र के गरीब किसानों की जमीन 30000–40000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है और गांव वालों को उसका भूगतान भी नहीं किया है, कंपनी की रजिस्ट्री कंपनी के मालिक के घरों में हुआ है, एक आदिवासी की जमीन 6000 रुपये एकड़ में खरीदा है, आज भी जमीन दलाल हमारे जमीन की ऋण पुस्तिका को अपने पास रखे हैं, जो रायगढ़ और राजनांदगांव के भी हैं, कंपनी के राजेश जैन ने 200 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कराई है। उस जमीन को उन्होंने 20 लाख रुपये एकड़ में रजिस्ट्री कराई है, वह जमीन गांव वालों से 30000–40000 रुपये एकड़ में खरीदा था, जमीन में पेड़ और नाला, कुंओं की जानकारी नहीं दी गई है, उस जमीन में एक एकड़ में 1000 पेड़ हैं, रजिस्ट्री में पेड़ की जानकारी नहीं दी गई है, गांव वालों ने जब कलेक्टर को शिकायत किया तब भू–माफियाओं ने पेड़ को काटने का कार्य भी किया है, अभी भी उस जमीन में हजारो पेड़ खड़े हैं वह पेड़ कटने नहीं चाहिए, जैसा कि पूर्व के उद्योगों के द्वारा किया गया है। इस जमीन की आज से ही निगरानी की जाये। पूरा ई. आई. ए. रिपोर्ट फर्जी, मनगढ़त और तथ्यों को छूपाकर बनाया गया है, ई. आई. ए. रिपोर्ट में 339 एकड़ पर राखड़ रखने हेतु जमीन बताया गया है, इन्होंने बताया है कि बंजर जमीन है, राजस्थान में बंजर जमीन होगा, यहॉ छ.ग. में बंजर जमीन नहीं है, यहॉ के लोगों के जमीन में हजारों पेड़ हैं, रायगढ़ की जनता को लूटने के लिये कंपनियां आ रही हैं। छ.ग. सरकार ने आदेश दिया है ऐसा नवभारत पेपर में छपा है कि आदिवासियों की जो जमीन खरीदी गई है, भू–अर्जन किया गया है, उसे वापस किया जायेगा। इनके द्वारा जमीन का नक्शा खसरा का जानकारी दिये बिना आवेदन किया गया है। धोखे से कंपनी यहॉ लगना

चाहता है, जो पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र में उद्योग नहीं लगना चाहिए, हाथियों का आना जाना इस क्षेत्र से होता है, वन विभाग ने एक प्रकरण दर्ज किया था, कि इस क्षेत्र में हाथी को मारकर दफन कर दिया गया था, यह हाथियों का गलियारा है, शासन जानबूझकर यह घोषित नहीं करती है कि यह हाथियों का गलियारा है, ताकि इस क्षेत्र में उद्योग आयें। यहॉ से उड़िसा राज्य की सीमा दो किलोमीटर में है, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। इस गांव में जो प्रदूषण फैलायेगा, प्रदूषित जल कहॉ छोड़ेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। गांव के लोगों को दूर–दूर से लाया गया है समर्थन कराने के लिये। गांव के लोग विरोध करने लाईन में लगे हैं, बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं, इस कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए।

216. रविन्द्र प्रधान, देलरिया – मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
217. चेतराम यादव, कोरियादादर – इस कंपनी का स्वागत करता हूॅ।
218. सहदेव गुप्ता, डूमरपाली – कंपनी का स्वागत करता हूॅ।
219. मनोज पटेल, जामगांव – मेरे को अच्छा काम मिले और रोजगार मिले इसलिये मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
220. अशोक प्रधान, बलभद्रपुर – आज जन सुनवाई हुआ यह कंपनी के लिये तो हजारो आदमी आये, कोई कहता है जमीन हड़ा है, हम लोग जमीन नहीं देते तो कंपनी कैसे आता, पांच साल पहले हमारे आदिवासी भाई 20000 एकड़ में जमीन बेच रहा था, बीस साल पहले यह गांव वाले बी रुपये के लिये गांव से 10 किलो मीटर दूर कमाने जाते थे, उस समय कोई नेता नहीं आता था। कंपनी से निवेदन है कि जो गांव के लोगों से लफड़ा हुआ है उसको समाप्त कर लिया जाये। आज तक कोई नेता यह कहने नहीं आया है कि हम तुम्हारा विकास कर देंगे। आज खुशी का बात है कि कंपनी आ रहा है, गांव के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, आज गांव में कंपनी खुलेगा तो गांव में ही काम मिलेगा।
221. गीता पटेल, सरपंच, कोयलंगा – मैं इस फैक्ट्री का समर्थन करती हूॅ, मेरे को शासन के काम की जानकारी है, हर काम शासन से नहीं हो पाता है, शासन के पास केवल रोजगार गारंटी का काम है, लेकिन वहॉ गांव के लोग काम नहीं करना चाहते, कंपनी के लोग गांव के लोगों को काम दे और गांव में साफ सफाई पर ध्यान दे।
222. गुमुश्ता पटेल, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
223. सुकमेत, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
224. विनोदनी, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
225. देवकी, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
226. सुलेखा, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
227. बिलासनी, पंच, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
228. शकुन्तला, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
229. रेवारी, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
230. रमला, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
231. गोमती, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
232. कल्पना पटेल, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
233. जगेश्वरी, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।
234. सत्यवति, भुईयापाली – समर्थन करती हूॅ।

235. सविता, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
236. सुलोचना, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
237. लता यादव, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
238. नूरा, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
239. वैजन्ती पटेल, भुईयापाली – राजी हैं।
240. खोखनी, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
241. रुपवति, भुईयापाली – हमारा राय है।
242. शान्ति बाई, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
243. मदनावती, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
244. धनिमति, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
245. सुकमति, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
246. रंगो, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
247. बिलासनी, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
248. ललिता, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
249. पवित्रा, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
250. सुकमति, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
251. महिमा, भुईयापाली – समर्थन करती हॅू।
252. शान्ति, अड़बहाल – हमारे गांव में हाई स्कूल खुले ताकि लड़कियों को भी अध्ययन करने का मौका मिले।
253. राधा, अड़बहाल – समर्थन करती हॅू।
254. कजनी, सपनई – कंपनी चाहिए।
255. टेभा बाई, भगोरा – कंपनी से सहमत हैं।
256. पार्वती,भगोरा – कंपनी होना चाहिए।
257. राधिका, भगोरा – समर्थन करती हॅू।
258. अनुसुईया चौहान, भगोरा – हमारे गांव में जो नदी है, वह अशुद्व नहीं होना चाहिए, यही अनुरोध है। कंपनी का समर्थन करती हॅू।
259. चंदनंतुला चौहान, अड़बहाल – गांव के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए।
260. बल्दु राम पटेल, जामगांव – मैं टापवर्थ कंपनी का स्वागत करता हॅू, और क्षेत्र का समस्या रखना चाहता हॅू, हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दिया जाये, और बिना किसी भेदभाव में भुगतान किया जाये, हमारे क्षेत्र में एक अंग्रेजी मिडियम स्कूल निःशुल्क खोला जाये, हमारा रोड़ बने, लाईट की सुविधा हो, क्षेत्र में हास्पीटल खुले, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। कंपनी का समर्थन करता हॅू।
261. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – सरकार पहले एम. ओ. यू. कर लेती है उसके बाद जन सुनवाई करवाये जाने का क्या औचित्य है, रायगढ़ जिले में 51 वृहद उद्योग संचालित हैं और उससे छोटे भी कई उद्योग संचालित हैं, यहॉ केवल दो जगह प्रदूषण मापन यंत्र है, क्या वह प्रदूषण मापन यंत्र सहीं है, क्या आपने संकलत रुप से यह ई. आई. ए. बनाने हेतु निर्देश दिया था। ई. आई. ए. कंसलटेंट के द्वारा यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में फारेस्ट नहीं है या तो वे अपना आंख चेक करा लें या मुझे अंधा साबित कर दें, इन्होंने यहॉ पर जमीन बाबा रामदेव के नाम से जड़ीबूड़ी बनाने हेतु खरीदा गया और आदिवासियों को ठगा गया है, छ.ग. पुर्नवास नीति के तहत् लोगों को मुआवजा दिया जाये, क्षेत्र के लोगों के आजिविका

की क्या सुविधा की जायेगी, कंपनी के स्थापित होने तक उनको मुआवजा दिया जाये, कंपनी में गांव के लोगों को हिस्सा दिया जाये, इस कंपनी के लिये 43.8 मिलियन टन पानी की आवश्यकता बताया है जो महानदी से लिया जायेगा, छ.ग. सराकर के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि महानदी में कितना पानी है, इन्होंने इस क्षेत्र में 9 रिजर्व फारेस्ट बताया है एक बार जंगल नहीं हैं बताते हैं। इन्होंने 5000 घन मीटर जल की आवश्यकता और 18000 घन मीटर जल उपचार किया जाना बताया है। इन्होंने एक तरफ 60 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि और 60 प्रतिशत बंजर भूमि बताया है, इनके उपर 420 का अपराध दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन्होंने जीरो डीस्चार्ज के बारे में बताया है, इन्होंने मर्करी उत्पन्न होना नहीं बताया है, यहॉ सल्फर डाईआक्साईड, नाईट्रोजन आक्साईड निकलेगा। उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

262. रामेश्वर प्रसाद, सिकासीमाल – मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
263. रवि पाण्डेय, सिकोसीमाल – हम 10 साल से काम करते हैं, हम कंपनी में काम करना चाहते हैं, हमको काम मिलना चाहिए।
264. भोकलो चौहान, मनुवापाली – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
265. किशोर यादव, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
266. निरंजन प्रसाद, झारगुड़ा – सब को काम में रखे, जिसका जमीन ले उसको काम दे, रोड़, बिजली, पानी की सुविधा दे, स्कूल खोले, जैसे जिंदल के द्वारा रोड बनाया गया है वैसे रोड को चकाचक करे, बाहर के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाये, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
267. अवधेश साव, शकरबोगा – मैं टापवर्थ इनर्जी का स्वागत करता हूॅ, यहॉ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, किसानों को 20 से 25 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाये, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 10 लाख पेड़ लगाया जाये।
268. प्रसंग साव, शकरबोगा – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
269. इन्दुमति सिदार, जनपद सदस्य, सपनई – यहॉ हास्पीटल और स्कूल, कालेज बनना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मैं कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
270. चन्द्रकांति, पूर्व सरपंच, लोईंग – मैं पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूॅ, जब कोतरलिया और जामगांव में कंपनी आया तो उसका विरोध क्यों नहीं किया गया, आज इस कंपनी का विरोध क्यों किया जा रहा है, मैं इस पॉवर प्लांट का समर्थन करती हूॅ।
271. कविता बेहरा, तिलगा – मैं इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ, हमारे गांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिए।
272. कांति बाई, सपनई – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
273. कुमुदनी सिदार, सरपंच, सपनई – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
274. बाहरतीन, सपनई – मेरे गांव में अस्पताल और स्कूल चाहिए, मैं कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
275. संध्या सिदार, सपनई –कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
276. मीरा बाई, सपनई – गांव में पानी की समस्या है, पानी की सुविधा मिलना चाहिए।
277. देवमती पटेल, सपनई – कंपनी का स्वागत है।
278. राधा सिदार, सपनई – कंपनी का स्वागत है।
279. रायबारी बाई, सपनई – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।

280. शोभा पटेल, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करती हूँ।
281. लता, सपनई – समर्थन करती हूँ।
282. मुनकी, जामगांव – जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाये।
283. सावित्री यादव, पंच, कोलाईबहाल – हमारे वार्ड में पनी की समस्या है उसको दूर किया जाये, बेरोजगारों को रेाजगार दिया जाये।
284. फूलमति, कोलाईबहाल – हमारे लड़कों को नौकरी दिया जाये।
285. सुकरु राम राठिया, बलभद्रपुर – मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ, हमारे गांव के भोले–भाले लोगों को धोखा देकर जमीन लिया गया है, हर आदमी को जिसका जमीन 40000 रुपये से लिया गया है उसको 25000 रुपये भुगतान किया गया है, ऐसा कंपनी हमें नहीं चाहिए, हम कंपनी का विरोध करते हैं। जो अशोक प्रधान है उसी नें मेरे मम्मी को धोखा देकर जमीन को खरीद लिया है। हमको धोखे से लेजाकर 30 डिसमील के बदले 16 एकड़ का पैसा देना चाहते थे, इन्होंने धोखे से रजिस्ट्री किया गया है।
286. सविता रथ, जन चेतना , रायगढ़ – मैं टापवर्थ इनर्जी के जन सुनवाई का निम्न बिन्दुओं के आधार पर विरोध करती हूँ, सबसे पहले इस उद्योग के लगने से पर्यावरण को बहुत नुकशान होगा क्योंकि यह क्षेत्र पूर्ण रुप से नारंगी वन क्षेत्र में लगाया जा रहा है इस उद्योग के द्वारा क्या वन विभाग से कोई अनुमति ली गई है। यह क्षेत्र पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहॉ वन विभाग के ग्रामीणों के उपर हाथी को हाथी के दांत के लिये मारने का आरोप लगाया गया था। यह क्षेत्र पूरे तरह से साल बिजो से भरा पड़ा है, यहॉ कई प्रकार के जंगली जीव, और औषधी पाये जाते हैं, यहॉ के एक एकड़ जमीन में कम से कम 100 से अधिक महुआ जैसे वृक्ष पाये जाते हैं, जिसका ई. आइ. ए. में जिक्र नहीं है, महुआ फूल और डोरी जो आदिवासियों के लिये बहुत प्रमुख है। रायगढ़ जिले में कुछ 150 स्पंज ऑयरन और कई उद्योग लगे हैं, जिला पंजीयन अधिकारी के अनुसार किसी भी उद्योग के द्वारा स्थानीय युवकों का माग रखा हो। यह प्रताड़ना है उन लोगों केसाथ जिनका जमीन कंपनी के द्वारा ले लिया जाता है, कंपनी उनको जमीन लेने के बाद ठेंगा दिखा देता है, कंपनी बाहरी लोगों के द्वारा रोजगार दिया जाता है, स्थानीय लोगों को ठेकेदार के आधार पर काम पर लिया जाता है। ऐसे उद्योगों के खुलने से स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं होता है, इसलिये इस उद्योग की जन सुनवाई को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ई. आई. ए. में दुर्घटना से प्रभावित होने वालो के बारे में नहीं लिखा है। इन्होंने क्या ग्राम पंचायत में महिलाओं की 50 प्रतिशत सहमती ली गई है। इनके द्वारा बाहर के लोगों को काम दिया जाता है, जिनका पूलिस या कंपनी के पास कोई रिकार्ड नहीं होता है, जिसका महिलाओं के प्रति अपराध बडद्यता है, और अधिक उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, अतः और अधिक उद्योग नहीं लगना चाहिए। उद्योगों के आने से यहॉ दुर्घटना बढ़ी है। यहॉ के आदिवासियों की जमीन को बहला–फूसला कर लिया गया और कंपनी को अधिक दाम में बेचा गया है। उन लाभांस के अधिकारी यहॉ के किसान हैं उनको लाभ दिया जाना चाहिए। यह उड़िसा से लगा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले से उद्योग लगे हैं, जिसको उड़िसा के लोग भुगत रहे हैं, क्या उड़िसा के पर्यावरण अधिकारी से किसी प्रकार की अनुमति ली गई है। उद्योग के द्वारा भू–जल का उपयोग किया जायेगा, जिससे इस क्षेत्र सहित उड़िसा के गांवों में भू–जल स्तर गिरेगा। यह दो राज्यों के

स्थानीय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, यह जन सुनवाई तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। मेरा जन सुनवाई में विरोध है।

287. सरजू कुमार राठिया, बलभद्रपुर – मेरा कंपनी के लिये विरोध है। कंपनी यहॉ नहीं बनना चाहिए।

288. राजकुमार, बलभद्रपुर – जो धोखाधड़ी से जमीन लिया गया है, उसका फैसला कंपनी पहले करे। मैं कंपनी का विरोध करता हूॅ।

289. कमल सिंह राठिया, बलभद्रपुर –कंपनी का विरोध करता हूॅ, हमारे गांव में धोखाधड़ी से जमीन लिया गया था, रामदेव बाबा के नाम से जमीन लिया गया है, और यहॉ जड़ीबूटी लगेगा करके, इस जंगल में बंजर भूमि बताया गया है, जबकि यहॉ हजारो झाड़ हैं।

290. पुरन्धर पटेल, अड़बहाल – मैं इस कंपनी का विरोध करता हूॅ। कंपनी के द्वारा कोई जानकारी नहीं था, यहॉ दलाल के द्वारा जमीन खरीदा गया जड़ी बूटी के नाम से आज यहॉ जन सुनवाई हो रहा है, हमारे क्षेत्र के जंगली बच्चे हैं, उनको पैसा देकर समर्थन कराया जा रहा है, मैं मां मंगला में सुपरवाईजर का काम कर रहा था, मुझे धोखा से निकाल दिया गया है, आज वहॉ पानी नहीं है, यहॉ भी पानी नहीं बचेगा, इस कंपनी को नहीं खुलने देना चाहिए।

291. संदीप प्रधान, मनुआपाली – यहॉ से 8–9 किलो मीटर दूरी पर एम. एस. पी. प्लांट है, वहॉ यहॉ के लड़क काम करने जाते हैं, यहॉ प्लांट खुलने से उनको रोजगार मिलेगा मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

292. नारायण प्रसाद हलधर प्रसाद जेना, मनुआपाली – आज भी यहॉ से 250 लोग 10 कि. मी. दूर जामगांव में काम करने जाते हैं, यहॉ कंपनी के खुलने से कम से कम उनको तो रोजगार मिल जायेगा। अपने गांव में ही उनको रोजगार मिल जायेगा। हाथियों के कुचलने पर कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, पहले बलभद्रपुर में भी हाथी आ रहे थे, मनुआपाली में भी हाथी आये थे, लेकिन जब से एम. एस. पी. यहॉ खुला है, तब से जंगली जानवर और हाथी का डर हमको नहीं है। अगर यहॉ कंपनी खुलेगा हाथी यहॉ नहीं आयेंगे। कंपनी के खुलने से थोड़ बहुत तो प्रदूषण होता है, हमारे जो इस क्षेत्र में आ रहे ग्राम सपनई, बलभद्रपुर, सिकोसिमाल, अड़बहाल, जहॉ की जमीन कंपनी ने ली है, कंपनी ने जबरदस्ती तो नहीं ली है, मेरे बेटे को कोई जबरदस्ती लेकर देखे हम उसका खून कर देंगे, कंपनी को हमने बुलाया है, अतिथि देवो भवः कंपनी हमारे अतिथि हैं। कंपनी अगर रहेगी तो हमें अनेक प्रकार से फायदा है, सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, सिर्फ कंपनी है जिसमें हम बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है, जिनकी भी जमीन गई है, अगर उनमें से एक भी आदमी विरोध करे तो ठीक हो, हर कोई चाहते हैं कि कंपनी के आने से उनको रोजगार मिलेगा। जो भी यहॉ काम करेंगे स्थानीय लोगों को उचित वेतन दिया जाये।

293. प्रेमानंद अग्रवाल, जामगांव – इस पॉवर प्लांट के लिये मेरी जमीन गई है, मैं इस प्रकार की जन सुनवाई का पूर्ण रुप से विरोध करता हूॅ, यह जन सुनवाई फर्जी है, जन सुनवाई धनबह, बाहूबल और लोगों में शान्ति द्वेष पैदा करती है जैसा चुनावों में होता है, हर गांव में आज फूट पड़ रहा है। इसके पूर्वी अंचल में पूरु नदी है, जो जामगांव से होकर गुजरता है, पश्चिम दिशा में सपनई नदी है, जिससे आम लोगों को निस्तारी होता है, इसके चारो ओर जंगल है, जिनमें जंगली जानवर और सारस जैसे पक्षी भी आते हैं, यह जंगल विनाश होने की आशंका है, किसान का हक जल,

जंगल और जमीन पर हक होता है, जमीन दे चुके हैं, जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है, घर में बोर खनने हेतु भी स्वीकृति की आवश्यकता है, ऐसा आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है। जो जंगल हैं, उनमें महुआ, डोरी और अनेक जंगली फल होते हैं, जिससे कई लोगों का जीवन यापन होता है। जिनका जमीन गया है, उससे कंपनी का अंतिम किसान के साथ संबंध बनाया जाये, जन सुनवाई में स्थानीय लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाये। कंपनी जिसकी जमीन गई है उनसे एग्रीमेंट करे कि उनको नौकरी दिया जायेगा।

294. लालुबाई, भुईयापाली– इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
295. सुबरन कुवंर , भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
296. पार्वती गुप्ता, कुईलंगा – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
297. मंगला, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
298. सुकमेत, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
299. सजावति, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
300. कमलाबाई, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
301. संगवारी, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
302. कमलाबाई,भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
303. डोलना सिदार, सिकोसिमाल, इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
304. रेवारी, सिकोसिमाल, बहुत सुखा है पानी चाहिए , इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
305. सुमति गुप्ता , कोईलंगा– इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
306. पुर्णिमा यादव, कोईलंगा – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
307. डोमरीबाई, –
308. घसियानो बाई , भुईपाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
309. जितेन्द्री, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
310. मुखिया, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
311. सन्तरा, भुईपाली – कम्पनी होगा।
312. गणेशी , भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
313. सिवानी , भुईयापाली– इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
314. यशेदा, भुईयापाली – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
315. पार्वती , भुईयापाली – कंपनी बनेगा ।
316. भनुमति, भुईयापाली – कंपनी यहां बनेगा ।
317. रामवति, भुईयापाली – कंपनी यहां बनेगा ।
318. तुरे, भुईयापाली – कंपनी बनेगा।
319. बसंती, भुईयापाली – कंपनी बनेगा ।
320. सुमति, भुईयापाली – कंपनी बनेगा ।
321. विमला, भुईयापाली – कंपनी बनेगा ।
322. संकुतला , भुईयापाली – कंपनी बनेगा ।
323. भोलावति, भुईयापाली – कंपनी बनेगा।
324. ननकुजीं , बलीाद्रपुर– एक बार आये दुबारा नही जायेगें । कंपनी होना चाहिए।
325. लक्ष्मिन , बलभद्रपुर, – मेरी जमीन का पटटा चाहिए । कंपनी चाहिए।
326. प्रेमबाई, बलभद्रपुर– हमे जमीन का पैसा और पटटा मिले ।
327. शांति, बलभद्रपुर – हमारी जमीन का पटटा और पैसा चाहिए। कंपनी खुल जाये।।

328. शांति, बलभद्रपुर – नौकरी चाहिए लड़के को नौकरी चाहिए। कंपनी चाहिए।
329. बुधयारिन, बलीाद्रपुर – हमारी जमीन को सस्ता में खरीद में ले लिया है।
330. मंगली बाई , बलभद्रपुर – मेरी जमीन को ठग कर ले लिया गया है और मेरे को दो लाख ली हुँ। और यहां फैक्ट्री बनेगा नही कहा गया। और मेरे दो बच्चे है और मेरे को पैसा नही मिला है। वह कहां जायेंगें । मेरा विराध हैं।
331. रतनी बाई, बलभद्रपुर – मै जमीन बेची हु उसे ले जाये और पटआ चाहिए।
332. हेमराम पटेल, अडद्यबहाल – मै कंम्पनी का विरोध करता हुँ। और हम खेती करते है जो कि उद्वोग लगने से वह खराब हो जायेगी अ ोर यहां कम्पनी से दूर्घटना बडेगी। यहां उद्वोग लगना नही चाहिए।
333. राम चरण पटेल, अड़बहाल – यहां पर जमीन जो भी दिये है उसे सीधे नही खरीदी की गई है। जिससे किसानो को घाटा हुआ है। उद्वोग किसानो के लिये क्या करेगी। आदिवासियों की समस्या का निवारण करे।
334. बसंत राम राठिया, बलभद्रपुर – मैं अपना पूरा जमीन कंपनी को दे दिया हूॅ, कंपनी पढ़े–लिखे को नौकरी दे और स्थानीय लोगों को रोजगार दे, कंपनी यहॉ पॉवर प्लांट लगा रहा है, तो हमको बिजली मुफ्त में मिले, हमारे स्कूल का आहाता बनाया जाये, गली का निर्माण करायें। कंपनी गांव को अपने बच्चे के सामान रखे मैं कंपनी से यही चाहता हूॅ।
335. श्याम चौहान, जामगांव – जामगांव में क्या था, एम. एस. पी. आया, जो इंसान पहले लकड़ी इधर उधर कर रहा था, आज 5000 रुपये कमा रहा है, कंपनी लोगों को काम दे रही है काम कर नहीं पा रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है। मैं पूरी समर्थन में हूॅ। यहां कंपनी बैठेगा तो यहॉ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगा।
336. गिरी महाराज, बलभद्रपुर – जितनी भी जमीन खरीदी गई है, वह झाड़ पौधे होंगे बोलकर लिया गया था, आज हमको पता चला है कि फैक्ट्री बन रही है, जिनकी जमीन ली गई है, उनको मुआवजा मिले।
337. लोचन प्रसाद पटेल, सपनई – मेरे को कंपनी से विरोध भी है और निर्विरोध है, हमारे जमीन को पहले दलाल लोग ले लिये, पौधा लगायेंगे, हमको पता नहीं था, कि वहॉ कंपनी लगेगा, दलाल लोग हमको ठगकर क्यो जमीन को लिये, जमीन में बहुत सारा पेड़ है उसकी जानकारी नहीं दी गई है, हम लोगों को पेड़ का मुआवजा दिया जाये। हम लोगा चार, केंदु, मौहा तोड़ते थे, उसका नुकशान हुआ है।
338. तिरथ कुमार यादव, बलभद्रपुर – मेरा टापवर्थ कंपनी का निर्विरोध है, हमारे पिताजी से 20 एकड़ जमीन को लिया था, लेकिन जब हमें पता चला तो हमारा पूरा 42 एकड़ जमीन का रजिस्ट्री करा लिया गया है।
339. राधा, महिला समिति अध्यक्ष बेहरापाली –कंपनी बने समर्थन करती हूॅ।
340. सावित्री, बेहरापाली – कपंनी का समर्थन करती हूॅ।
341. शोभा निषाद, बेहरापाली – कंपनी होना चाहिए।
342. रेखा, रायगढ़ – कंपनी होना चाहिए।
343. माधुरी, रायगढ़ – इस कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
344. रजनी, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
345. दिरवा बाई, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करती हूॅ।
346. पेलमती बाई, रायगढ़ – स्वागत करती हूॅ।
347. बिलासनी, रायगढ़ – कंपनी चाहिए।
348. सीमा, रायगढ़ –कंपनी का समर्थन करती हूॅ।

349. सुभाषिनी, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
350. सुजाता, रायगढ़ – समर्थन करती हूँ।
351. दुर्गा, रायगढ़ – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
352. केतकी, रायगढ़ – फैक्ट्री होना चाहिए।
353. तिलंगा, रायगढ़ – समर्थन है।
354. श्रीमती, रायगढ़ – कंपनी का स्वागत है।
355. आशाबाई, रायगढ़ – समर्थन करती हूँ।
356. ललिता, रायगढ़ – कंपनी नहीं चाहिए।
357. गीता चौहान, कलमी – इस कंपनी का समर्थन करती हूँ।
358. दिलमती चौहान, कलमी – कंपनी का स्वागत है।
359. रजनी बाई, कलमी – कंपनी का स्वागत करती हूँ।
360. सुन्दरामती, कलमी –कंपनी का समर्थन करती हूँ।
361. बुधनी बाई, कलमी – कंपनी का स्वागत करती हूँ।
362. राधा बाई, सपनई– मिश्रा जमीन का कागज ले गया है पैसा नहीं दिया है।
363. रायमति, सपनई – निराशी पैसा नहीं मिल रहा है,
364. द्रोपती, सपनई – जमीन का सस्ते में ले लिया है।
365. रुपा बाई, सिकोसीमाल – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
366. द्रोपति बाई, सिकोसीमाल – कंपनी खुलने से खुश हूँ, बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए।
367. असमति, सिकोसीमाल – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
368. राधाबाई, सिकोसीमाल – जमीन का उचित मुआवजा दे, कंपनी खुल जाये।
369. प्रिया, सिकोसीमाल – कंपनी के खुने से हमारे गांव में बच्चों के लिये सुविधा होना चाहिए।
370. बलरा सिदार, सपनई – टापवर्थ इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
371. शुसील कुमार राठिया, सपनई – समर्थन करता हूँ।
372. नरेश कुमार, अड़बहाल – सहमती देने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहॉ पर कौन सी फैक्ट्री की जन सुनवाई हो रहा है। आज के युवा चाहते हैं कि उनका मांग क्या है, आज तक इतनी कंपनी आये लेकिन किसी को भी 10000 तक की नौकरी नहीं दी गई है, यहॉ तक जमीन भी बेचना पड़ा है, कंपनी के द्वारा हमको अंदर आने नहीं दिया जाता, हमको कितने रुपये भूगतान दिया गया है। क्या आप रोजगार दिला सकते हैं, क्या आपको पता है कि यहॉ के जमीन को धोखा देकर दलाला के द्वारा खरीद लिया गया था, कंपनी के खुलने से यहॉ पर प्रदूषण फेलेगा, जिससे खेत और पशु प्रभावित होंगे। क्या इस विषय पर कलेक्टर महोदय कार्यवाही करेंगे। हमारे गांव में समस्याओं के निराकरण के लिये पधारेंगे।
373. प्रेमसिंह राठिया, सपनई – मैं टापवथ इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। क्योंकि एक बेरोजगार को क्या चाहिए, रोजगार, रोजगार मिलेगा तो उसका जीवन स्तर सुधरेगा, जब कंपनी खुलेगा तो यहॉ अच्छे स्कूल खुलेंगे, चिकित्सा सुविधा मिलेंगे। शिक्षित होने से लोग अपने हक के बारे में जन सकेंगे। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए।
374. नवीन कुमार, सपनई – मैं इस कंपनी का स्वागत करता हूँ। हमने आपको जमीन दी है, कंपनी बसाने के लिये आप हमें नौकरी दें, जिंदगी सवांरने के लिये।
375. सुरेश कुमार निषाद, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

376. देवानंद चौहान, सपनई –कंपनी का समर्थन करता हूँ।
377. रंजन चौहान, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
378. लाल बहादूर सिदार, सपनई – मैं विकलांग हूँ, कंपनी मेरे लिये कुछ करे।
379. राम सहाय सिदार, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
380. लक्ष्मी प्रसाद सिदार, सपनई – मेरे पंचायत के अंदर जो गांव है, वो समर्थन करते हैं कंपनी के लिये।
381. राजकुमार राठिया, बलभद्रपुर – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
382. पिताम्बर पटेल, सपनई – कंपनी से अनुरोध करता हूँ कि जो यहाँ के महिला बेरोजगार हैं, उनको सिलाई प्रशिक्षण दिया जाये और एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाये।
383. नेपाल कुमार पटेल, सपनई – मेरे बाबूजी का जमीन बिक गया है, हमको भी कोई रोजगार दिया जाये, कंपनी का समर्थन करता हूँ।
384. मिनकेतन पटेल, सपनई – कंपनी से नौकरी चाहिए इसी शर्त पर समर्थन करता हूँ।
385. वरुण देव सिदार, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
386. राम प्रसाद, सपनई – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
387. सेत कुमार, बलभद्रपुर – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ, हमारा जमीन धोखे से लिया गया है, हम नौजवान अशिक्षित हैं, हमको काम कौन देगा, हमारा जमीन ले लिया गया है। हमारे पासे अभी खाने के लिये अनाज भी नहीं है, हम किसके पास अर्जी लेकर जायें, हमें कोई नौकरी नहीं देगा, मेरे विरोध करने से क्या होगा, बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं। हम गांव वालों को कंपनी क्या दे सकेगा।
388. रामकृष्ण कटर्ची, पार्षद वार्ड क्र. 40, रायगढ़ – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ, कंपनी के आने से जिला वासियों को लगता है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन आप सब को मालूम है, रायगढ़ जिले में बहुत सारे फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिये हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई देखरेख नहीं किया जाता है, स्थानीय बेरोजगारों को कोई फायदा नहीं मिलता है, बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है, यहाँ जो जानवर हैं वे आपकी रक्षा करते हैं, फैक्ट्री के आने से जो बड़े वाहन आयेंगे उनसे आप नहीं बच पायेंगे। अगर आज फैक्ट्रीयों की भरमार नहीं होती तो दुर्घटनाएं भी इतनी अधिक नहीं होती, हमारा भारत सरकार पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहता है लेकिन हजारों एकड़ जमीन फैक्ट्री स्थापित करने के लिये दिया जाता है, रायगढ़ से जब आते हैं, तो एम. एस. पी. फैक्ट्री के आस–पास पेड़ों की पत्तियाँ काले हो चुके हैं और दिन में कार्बन डाईआक्साईड छोड़ रहे हैं, हम 24 घंटे कार्बन डाई आक्साईड लेने के लिये फैक्ट्रीयों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोग चुनाव के समान कम पढ़े–लिखे लोगों को पैसा देकर समर्थन में लाये हैं। मैं टापवर्थ कंपनी का विरोध करता हूँ।
389. पुरनी बाई, बलभद्रपुर – कंपनी का समर्थन है।
390. अघन, बलभद्रपुर – कपंनी का समर्थन है।
391. शेख अजीत नियारिया,अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, रायगढ़ – मैं पॉवर प्लांट का विरोध करता हूँ, जब इस स्थल पर कंपनी खुलेगा तो और अधिक जानवर आयेंगे, जब उनका छत छिना जायेगा तो वो और आक्रामक हो जायेंगे। इस क्षेत्र में उड़िसा से शेर, भालू जैसे जानवर आते रहते हैं, उनका छत छिन जायेगा, प्रदूषण इतना फैल गया है कि अब और अधिक फैक्ट्री खुलने से हमारा जीना दुर्भर हो जायेगा।

392. मुरलीधर निषाद, सपनई – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में सह कंपनी खुल रहा है। सभी गांवा वालों को नौकरी दिया जाये।
393. द्वरिका सिदार, जामगांव – मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। कंपनी जो खुल रहा है वह बहुत बढ़ीया हो रहा है।
394. नकुल साहू, बेहरापाली – मैं टापवर्थ इनर्जी का समर्थन करता हूँ।
395. मनोज कुमार पंडा, जामगांव – टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूँ। क्योंकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
396. मनहर चौहान, रायगढ़ – इनके ई. आई. ए. रिपोर्ट मे जो त्रुटिपूर्ण बात है इसके बाद भी जन सुनवाई कराई जा रही है, यहॉ के अधिकारी कहते हैं कि हम जवाब देने हेतु बाध्य नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे रायगढ़ जिले में उद्योग लग रहे हैं क्या वह सही है, इसका जवाब दिया जाये, जो बात हमारे रघुवीर प्रधान एवं सविता रथ के द्वारा कहा गया है उनकी बातों को रखा जाये। मैं इस जन सुनवाई को स्थगित करने की मांग करता हूँ।
397. लक्ष्मी नारायण पटेल, बेहरापाली – अगर सकारात्मक सोच हवाई जहाज बनाता है तो नकारात्कम सोच पैरासुट बनाता है, हमको विकास को ग्रहण करना है या विनाश को अगर फैक्ट्री लगेगा तो थोड़ा विनाश तो होगा लेकिन विकास भी होगा, यह क्षेत्र पिछड़ा है, यहॉ कंपनी लगना चाहिए मैं टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूँ।
398. अरविंद गुप्ता, जामगांव – मैं टापवर्थ का समर्थन करता हूँ। पहले जो प्लांट आये हैं उससे हमारा क्षेत्र विकसित हुआ है, इससे भी विकसित होगा।
399. मुकुट राम साव, जामगांव – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
400. पवित्र कुमार सिदार, बेहरापाली – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
401. श्याम लाल राठिया, सपनई – मेरा समर्थन है।
402. मुनू, बलभद्रपुर – गौटिया को जमीन दिया था, मेरे सब जमीन को ले जा रहा है, पट्टा वापस नहीं कर रहा है। फैक्ट्री को नहीं दूंगा।
403. राजेश कुमार, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
404. रामो गुप्ता, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूँ।
405. रविन्द्र कुमार पटेल, कोलाईबहाल – मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ लेकिन एक शर्त पर हमारे आस–पास के गांव का विकास हो, प्रदूषण पर कंट्रोल हो, जो कुशल नहीं हैं, उनको कुशल किया जाये, एम. एस. पी. में मेरे पड़ोस के लड़के काम करते थे, उनको कुशल होने के बाद भी उनको रेगुलर नहीं किया गया। तो इस प्रकार से न हो यह फैक्ट्री प्रबंधन यह जिम्मा उठाये जो पढ़े–लिखे नहीं हैं। मैने ग्राम सुराज में भी यह बात उठाया था कि इस क्षेत्र में बीमारी फैल रहा है, इस पर कंट्रोल किया जाये, इस फैक्ट्री से इतना ध्वनि प्रदूषण होगा कि आस–पास के गांव के लोग सो नहीं पायेगे और जंगल के जानवर भी भाग जायेंगे। इस पर नियंत्रण किया जाये। टापवर्थ कंपनी से निवेदन है कि गांव में अच्छी शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाये। टापवर्थ से ग्रामवासियों को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। एम. एस. पी. के प्रदूषण को पर्यावरण अधिकारी रोके मैं अनुरोध करता हूँ।
406. विपिन मिश्रा, युवा संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – कंपनी के द्वारा जो गलत ढंग से जमीन खरीदी गई है उसकी जांच की जाये, मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।

407. तेजराम गुप्ता, बेहरापाली – यहॉ पर जो कंपनी आ रहा है उसका मैं धन्यवाद देता हूॅ, यहॉ के लोगों को रेागार मिलेगा।
408. श्याम लाल चौहान, सपनई – मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
409. कलपराम, देवबहाल – मेरे जमीन से हाथी को नुकशान हुआ था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला था।
410. डी. आर. सोन्हा, बेहरापाली – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
411. मयाराम, भुईयापाली – समर्थन करता हूॅ।
412. हरिसिंह, भुईयापाली – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
413. रमेश राणा, जामगांव – टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूॅ। मजदूरों को अच्छा वेतन देकर खुश रखा जाये।
414. दुर्लभ गुप्ता, कोयलंगा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
415. चन्द्रमणी बारिक, भगोरा – टापवर्थ कंपनी के लगने से प्रदूषण होगा, जिससे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ेगा इस कारण इस कंपनी का यहॉ स्थापित होने पर अपना विरोध प्रकट करता हूॅ। मैं अपने गांव तथा आस–पास के कुछ गांव के विरोध पत्र को स्वीकार करें।
416. बसंत गुप्ता, कुकुर्दा – टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
417. युधिष्ठिर गुप्ता,कुकुर्दा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
418. अखिलेश गुप्ता, कुकुर्दा – टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
419. प्रशांत गुप्ता, कुकुर्दा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
420. ललित चौहान, कुकुर्दा – टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
421. भीम राम मेहर, कुकुर्दा – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
422. सुदर्शन चौहान, सपनई – समर्थन करता हूॅ।
423. राजकुमार गुप्ता, सपनई – टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
424. भास्कर राणा, जामगांव – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
425. लक्ष्मी नारायण सिदार, जामगांव – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
426. कार्तिक राम यादव, जामगांव – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
427. संतोष सिदार, जामगांव – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
428. चित्तु सिदार, जामगांव – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
429. गोपाल निषाद, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
430. मेघराज चौहान, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
431. राजेश श्रीवास, जामगांव – टापवर्थ का समर्थन करता हूॅ लेकिन जो विरोध किया जा रहा है तो इनको ध्यान देना होगा कि हम अगर कंपनी बैठाते हैं तो उच्च्य क्षमता का प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाया जाये, वृक्षारोपण कराया जाये, पानी आपूर्ति के लिये स्टाप डेम का उपयोग करे, ताकि सिंचाई के लिये भी पानी दिया जा सके, हम प्रशासन के माध्यम से यह बात कहना चाहते हैं, प्रदूषण को ध्यान देकर कंपनी बैठाना चाहिए, हम आज विकासशील देश नहीं विकसित देश के रुप में आगे कहे जायेंगे।
432. ऐनक सिंह सिदार, सपनई – टापवर्थ कंपनी का स्वागत करता हूॅ, हमारे गांव के सभी अशिक्षित शिक्षित हो जाये।
433. राजू राठिया, बलभद्रपुर – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
434. सत्यानंद जेना, मनुआपाली – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।
435. बृज बिहारी यादव, बलभद्रपुर – कंपनी का समर्थन करता हूॅ।

436. रमेश अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – आज कुछ मुद्दों पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, विकास की परिभाषा क्या है, हम विकास किसे मानते हैं, आज केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास जितने भी प्रस्ताव जाते हैं, वे कभी इस बात का ध्यान नहीं देते कि जिस एरिया के लिये हम प्रस्ताव दे रहे हैं वहां की स्थिति क्या है। पहले तो यहा ध्यान देना है कि हमे ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है और ताप विद्युत गृह से इसकी कितनी पूर्ति की जा सकती है। आज हमारे पास जितने वैकल्पिक संसाधन है, पानी और कोयला उसकी कितनी मात्रा है और कितने समय के लिये, हमारा खेती का रकबा कम हो रहा है, किसी भी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उद्योगों को जमीन देने के बाद हमारे कृषि की उत्पादकता कम हो जाये, कहीं ऐसा न हो कि हमारे देश में पॉवर तो हो लेकिन खाने के लिये विदेशो पर निर्भर रहना पड़े, यह स्वीकृति देने की प्रक्रिया सर्वथा गलत है। कंसलटेंट के द्वारा जो ई. आई. ए. बनाया जाता है, उनको मंत्रालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ई. आई. ए. लोगों के द्वारा बनाया दिया जाना चाहिए, गांव के लोग जानते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पानी है, यहॉ के जमीन की उर्वरा शक्ति कितनी है इसकी जानकारी स्थानीय लोगों से ज्यादा हम नहीं जान सकते, जिन किसानों को हम अशिक्षित समझते हैं वो बहुत अच्छी ई. आई. ए. बना सकते हैं, कंसलटेंट इस क्षेत्र में तीन महिने के लिये आते हैं, आते भी हैं या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, ई. आई. ए. को ग्राम पंचायत में भिजवा देते है जो अंग्रेजी में है और गांव वालों को बोलते हैं कि ई.आई. ए. के बारे में बोलें। किसानों को यही नहीं मालूम कि कहॉ प्लांट लगना है , कितना पानी लगना है और हम जन सुनवाई करवाते हैं, जन सुनवाई करवाने के पहले पर्यावरण विभाग यह कमेंट्स दे कि ई. आई. ए. में कितनी सच्चाई है। जहॉ कहीं अधिक पढ़े–लिखे वैज्ञानिक लोग हैं, वे सर्टिफाईड करें कि ये वेलिड ई. आई. ए. है, फिर देखिये कि ई. आई. ए. की क्वालिटी सुधरित है कि नहीं। राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है कि लोक सुनवाई के बाद उसके बारे में कोई कमेंट्स कर सके, और एक्सपर्ट कमेटी के पास भेज दिये जाते हैं, उनके पास एक प्रोजेक्ट के लिये 20–25 मिनट से अधिक नहीं होता है, उतने देर में वे क्या ई. आई. ए. और लोगों के कमेंट्स देखेंगे, कितने प्रतिशत, परियोजना हमारी एक्सपर्ट एप्राईजल कंपनी ने गुणवत्ता के आधार पर वापस किये हों या कैंसिंल कर दिये हों। वह एक क्लीयरिंग हाउस है, वहॉ और कुछ नहीं है। यहॉ से जाने के बाद क्या हो रहा है उसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है। हमारे जो उद्योग प्रतिनिधि जो उद्योग लगा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने कंसलटेंट की बनाई हुई ई. आई. ए. पर परियोजना की शुरुआत न करे, ई. आई. ए. केवल क्लीयरेंस के लिये होती है, आप अपना स्वतंत्र अध्ययन करें। जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, इतने सारे उद्योग लगने के बाद क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, क्योंकि वे हजारों करोड़ रुपये यहॉ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं।

437. रुपसिंह सिदार, करबहाल – पॉवर प्लांट का धन्यवाद।

438. सुकलाल राठिया, बलभद्रपुर – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

439. नेहरु लाल, सपनई – अभी जो साहब बोल रहे थे, वह सहीं है, मैं समर्थन करता हूँ।

440. फूलन सिंह सिदार, सिकोसीमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।

441. भूषण सिदार, सिकोसीमाल – कंपनी का समर्थन करता हूँ।

442. धनसिंह सिदार, सरबहाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

443. गोरसो लाल राठिया, सिकोसीमाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
444. विजय कुमार सिदार, सिकोसीमाल –इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
445. लखपति, भगोरा – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
446. सोन सिंह सिदार, सरबहाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
447. पुरषोत्तम प्रसाद दुबे, सिकोसीमाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
448. मंगतुराम, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
449. छबिलाल पटेल, सपनई –कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
450. ब्संत लाल राठिया, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
451. नत्थूलाल सिदार, सपनई – समर्थन करता हूॅं।
452. मोहर सिंह पटेल, सपनई – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
453. पदुम, सिकोसीमाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
454. दयाराम सिदार, सिकोसीमाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
455. छेना लाल राठिया, सिकोसीमाल – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
456. परमानंद सिदार, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
457. भक्तुराम राठिया, सिकोसीमाल – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
458. बोधराम राठिया, सिकोसीमाल – बच्चों को नौकारी मिलना चाहिए। समर्थन करता हूॅं।
459. श्रीनाथ चौहान, सरपंच, कोलाईबहाल – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
460. रविन्द्र चौहान, जामगांव – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
461. चरण लाल सिदार, जामगांव – इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
462. मदन लाल चौहान, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
463. पदुम लाल, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
464. गुड्डू, सपनई – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
465. बोधराम, सपनई – मेरा समर्थन है।
466. दुर्जन चौहान, बलभद्रपुर – समर्थन करता हूॅं।
467. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – मेसर्स टापवर्थ इनर्जी का विरोध करता हूॅं, जिस क्षेत्र में उद्योग लगने जा रहा है वह क्षेत्र पूरी तरह वनों से आच्छादित है, हमारे संविधान में वर्णित, छठवी अनुसूची के अंतर्गत यह आता है, वनों के कम होने से पर्यावरण बिगड़ेगा, हमारे देश का पर्यावरण एकदम विपरित है, हमारे प्रदेश की सरकार जो एम. ओ. यू. करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कितने उद्योग लगने हैं और कहॉ लगने हैं, रायगढ़ जिले में जितने तेजी से औद्योगिकरण के कारण जो दुर्घटनाओं में 1003 मौतें हुए हैं, उनका कारण सड़कों का विस्तार नहीं होना बताया गया है, उद्योग लगने पर वाहनों में वृद्ध होगी और दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होगी, किसी भी उद्योग को लगने से पूर्व राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण पर्यावरण अध्ययन किया जाना चाहिए, वह नहीं किया जाता, यहॉ स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस जिले में कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, इस जिले में और कितने उद्योग लगने चाहिए, पर्यावरण मूल्यांकन करना चाहिए, उस क्षेत्र की जनता का मत लेना चाहिए, उसके बाद राज्य शासन को एम. ओ. यू. करना चाहिए, जमीनों पर अभी वर्तमान में जो फैक्ट्री लगने जा रही है उसमें हजारों पौधे हैं, उसमें भी अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि एक वृक्ष को विकसित होने में कई वर्ष लगते हैं, इन परिस्थितियों में पर्यावरण असंतुलन होगा, अब रायगढ़ जिले में और अधिक उद्योग लगने की अनुमति दी

जानी चाहिए, इस परियोजना के लिये शासकीय आबंटित भूमि को भी खरीदी गई है। आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी बताकर खरीदी गई है।

468. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ़ – इस क्षेत्र के सैकड़ो आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों ने खरीदा और जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह पूरी प्रक्रिया हो गई, और जिन व्यक्तियों ने 20 एकड़ जमीन बेची है, उनकी 56 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। इस पर सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए, चाहे पटवारी हो, आर. आई. हो या, तहसीलदार हो उसके उपर कार्यवाही किया जाना चाहिए, जमीन की क्षतिपूर्ति जो उस आदिवासी को मिलना चाहिए, उस बिचौलिये को नहीं मिलना चाहिए। आस–पास के 10–15 किसानों ने बताया कि 25–300 आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी ने खरीदा है। पांच मिनट के अंदर जानकारी मिली की कोई अशोक अग्रवाल के द्वारा जमीन को खरीदा गया, जिसमें जमीन कुछ बेचा गया और रजिस्ट्री उससे अधिक की हुई । इस देश के अंदर इस तरह से अगर जमीन खरीदी जाती रहेगी तो इस देश में खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

469. भंवर सिंह सिदार, सिकोसीमाल – समर्थन करता हूँ। फैक्ट्री तो होगा,

470. दिनदयाल बरेठ, नटवरपुर – हम जो 10 वीं 12 वीं पास हैं हमको नौकरी मिलना चाहिए। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।

471. सेत कुमार साहू, बेहरापाली – मैं टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूँ।

472. राजकुमार सिदार, पंच, सपनई – मेरे गांव के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, मैं टापवर्थ कंपनी का समर्थन करता हूँ।

473. प्रहलाद अग्रवाल, कोलाईबहाल – अगर जनता ने चाहा कि प्लांट लगना चाहिए तो लगना चाहिए, बैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में बैंक नहीं खुलना चाहिए। जब रायगढ़ के बैंकों की सुरक्षा नहीं हो सकता तो इस क्षेत्र में अगर बैंक खुलेगा तो डकैतों को उड़िसा ले जाने का मौका मिलेगा।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग कंपनी प्रतिनिधि श्री कमलेश पवार, प्रबंधक (मानव संसाधन) एवं श्री रवि महापात्र, ई. आई. ए. कंसलटेंट ने परियोजना से होने वाले होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 5.30 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)